न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 113/2025 /दावा/बउनवान/अरिहन्त कुमार बनाम राज रानी वगै0
जीसीएमएस संख्या 2025/180

1. अरिहन्त कुमार जैन पुत्र श्री भानुकुमार जैन जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. श्रीमति गुणमाला जैन पत्नि भानुकुमार जैन जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

..... वादीगण

बनाम

1. राजरानी पुत्री जितेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. राजेश कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी.एक्ट

दायरा दिनांक 06.05.2025 **निर्णय दिनांक 19.05.2025**

निर्णय

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा

कोर्ट कैम्प में प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के पूर्वजों की आराजी खाता संख्या 08 के खसरा नं. 18/95 रकबा 0.48 हैक्टयर आराजी वाके ग्राम करीरिया पटवार मण्डल ईश्वरपुरातहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान में वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 के पति भानु कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 1 व 2 के 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खाजेदारी दर्ज है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी वादीगण के पिता/पति एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को वादी के दादाजी जितेन्द्र कुमार जैन से प्राप्त हुई है। उपरोक्त आराजी वादी के दादाजी के फौत होने पर फौती इंतकाल खुलने पर वादी के पिता को हिस्से में प्राप्त हुई है।
3. यह कि वादी कम 1 अपने पिता की जायज संतान है जिसका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

भानु कुमार जैन

↓

अरिहन्त कुमार जैन (पुत्र) गुणमाला जैन (धर्मपत्नि)

4. यह कि उपरोक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो उत्तराधिकार के कम में वादी कम 1 के पिता व प्रतिवादी कम 1 व 2 को वादी के दादाजी से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का हिस्सा निहित है।
5. यह कि वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 के पति जितेन्द्र कुमार जैन आज दिनांक से लगभग 32 वर्ष पूर्व गुम हो गये है, जिनका अभी तक कोई किसी प्रकार की पुलिस के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति से कोई सूचना नही मिली है कि वह जीवित हो। इसलिये उनके दुनिया में जीवित होने की कोई उपधारणा प्रतीत नहीं होती है।
6. यह कि वादी कम 1 व 2 भानु कुमार जैन के उत्तराधिकारी होने के कारण उनके खाते की आराजी वादीगण कम 1 व 2 अपने नाम घोषित कर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी व नालिशी है।
7. यह कि वादीगण के पिता के गुम होने के सन्दर्भ में दिनांक 27. 07.2024 को आदर्श ग्राम पंचायत बोहत के सरपंच द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है जो वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है।
8. यह कि पटवार मण्डल बोहत द्वारा दिनांक 20.08.2024 को श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश कमांक 3136 दिनांक 06. 08.2024 की पालन में खातेदार भानु कुमार जैन पुत्र जितेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी बोहत के वारिसान की जानकारी हेतु जानकारी ली गई जिसमें भी भानु कुमार जैन को 31 वर्ष पूर्व गुम होना बताया है व ग्रामवासियान द्वारा भानु कुमार जैन की कोई सूचना जीवित या मृत होने की प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट पर 6 ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। उक्त रिपोर्ट भी वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत हैं।
9. यह कि प्रतिवादी कम 1 व 2 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है, उनके किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाहिये।
10. यह कि प्रतिवादी कम 3 भू–स्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है व विधि के प्रावधानों के अनुसार वादी ने दिनांक 28.04.2025 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिलवा दिया है, किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति को होने के कारण वादी ने पृथक से धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
11. यह कि तहसीलदार साहब मांगरोल को कई बार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन वादी के पिता की कोई सूचना नहीं होने के कारण वादीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया गया, मजबूरन वादीगण को श्रीमान् न्यायालय में वाद पेश करना पड़ रहा है।
12. यह कि वादी के वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुना किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
13. यह कि विवादित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने के कारण श्रीमान् को वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का वाद सादर डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जावे कि:–

(अ) कि वाद–पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण कम 1 के पिता व वादी कम 2 के पति भानु कुमार जैन के 1/3 हिस्से पर वादी कम 1 व 2 को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की जावे।

(ब) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे वादीगण को दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में आज दिनांक 19.05.2025 को पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 2 स्वयं उपस्थित आए। साक्ष्यवादी में अरिहन्त कुमार, गुणमाला, राजेश कुमार जैन, हेमराज, रामावतार, विष्णु शर्मा, राजेन्द्र कुमार आदि के बयान

लेखबद्ध किये गये। बयानों से स्पष्ट है कि वादी अरिहन्त के पिता भानू कुमार को लापता हुए लगभग 32 वर्ष हो गये है जिनकी आज तक कोई तलाश नही हो पाई है। भानू कुमार जी के ग्राम करीरिया तह0 मांगरोल में पत्नी व एक पुत्र अरिहन्त है जो कि भानू कुमार के वारिसान है।

सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि वादपत्र की विवादित आराजी पैतृक व पुश्तैनी है एवं वादीगण लापता खातेदार भानुकुमार के जायज वारिसान है। इस प्रकार पैतृक आराजी में वादीगण के हक अधिकार निहित हैं। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से वादीगण को आये दिन परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। वादीगण अपने पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट करवाकर स्वयं का नाम हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। यदि लापता भानुकुमार जैन वापस आता है तो वह अपने हिस्से तक की आराजी में अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अतः वर्तमान परिस्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम करीरिया तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 08 खसरा नं. 18/95 रकबा 0.48 हे0 हिस्सा 1/3 में वादीगण के पिता/पति भानुकुमार जैन का नाम खाते से विलोपित कर वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि तद्नुसार जमाबंदी में अमल दरामद करे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 113/2025 /दावा/बउनवान/अरिहन्त कुमार बनाम राज रानी वगै0

जीसीएमएस संख्या 2025/180

निर्णय दिनांक :– 19.05.2025

बउनवानः–

1. अरिहन्त कुमार जैन पुत्र श्री भानुकुमार जैन जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. श्रीमति गुणमाला जैन पत्नि भानुकुमार जैन जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

..... वादीगण

बनाम

1. राजरानी पुत्री जितेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. राजेश कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है ग्राम करीरिया तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 08 खसरा नं. 18/95 रकबा 0.48 हे0 हिस्सा 1/3 में वादीगण के पिता/पति भानुकुमार जैन का नाम खाते से विलोपित कर वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि तद्नुसार जमाबंदी में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
...म्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।